(37)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध-31/09 460 /खाद्य,पटना/दिनांक- 27-01-10

प्रेषक,

राधा बिहारी ओझा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन,
पटना ।

विषयः- जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ सम्बद्ध उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि जन वितरण प्रणाली की निगरानी हेतु माननीय सर्वेच्च न्यायालय के आदेश से श्री डी0पी0 वाधवा, अवकाश प्राप्त माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय निगरानी समिति द्वारा विगत जुलाई, 09 में राज्य के कुछ जिलों में निरीक्षण भ्रमण किया गया था । भ्रमण के दौरान समिति ने पाया है कि जन वितरण प्रणाली दुकानों के साथ उपभोक्ताओं की सम्बद्धता में एकरूपता नही है । एक तरफ कुछ दुकानों के साथ काफी कम संख्या में उपभोक्ता सम्बद्ध किये गये हैं तो दूसरी तरफ कुछ दुकानों के साथ अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को सम्बद्ध किया गया है । जिसके कारण कम संख्या में सम्बद्धता वाले दुकानों की आय काफी कम है तथा इनकी लाभकारिता (Viability) बहुत कम हो जाती है । फलस्वरूप विचलन/कालाबाजारी की संभावना प्रबल हो जाती है ।

अपने भ्रमण के पश्चात समिति ने अपने प्रतिवेदन में दुकानों के साथ उपभोक्ताओं की सम्बद्धता में एकरूपता लाने की अनुशंसा की है । आप अवगत होंगे की जन वितरण प्रणाली दुकानों के साथ नजदीक के उपभोक्ताओं को इस प्रकार सम्बद्ध करने का निदेश है कि किसी भी उपभोक्ता को दो किलो मीटर से अधिक दूरी तय नही करनी पड़े । परन्तु प्रत्येक दुकान के साथ सम्बद्ध उपभोक्ताओं की संख्या में विशेष अन्तर नही होना चाहिए ।

अतएव अनुरोध है कि पंचायत/वार्ड (शहरी क्षेत्र) के उपभोक्ताओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए जन वितरण प्रणाली दुकानों के साथ उपभोक्ताओं की सम्बद्धता समानुपातिक रूप से किया जाए ताकि इनकी संख्या में विशेष अन्तर नहीं होने पाए तथा दुकानों की Viability भी बनी रहे ।

विश्वासभाजन,
26/1/2010
सरकार के संयुक्त सचिव ।

See/b.

(38)

ज्ञापांक- प्र07-विविध-31/09 460 /खाद्य,पटना/दिनांक- 27-01-10

प्रतिलिपि- सभी उप निदेशक, खाद्य/ अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/1/2010

सरकार के संयुक्त सचिव ।